

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय/ MINISTRY OF FINANCE आयकर विभाग/ INCOME TAX DEPARTMENT OFFICE OF THE INCOME TAX OFFICER **EXEMPTION WARD 1(2), HYD**

सेवा में/ To, M.C.MODI EDUCATIONAL TRUST 5-4-187/3 AND 4 SOHAM MANSION, M.G ROAD **SECUNDERABAD** 500003, Telangana India

स्थायी लेखा संख्या/ PAN:

निर्धारण वर्ष/ AY: 2016-17

नोटिस संख्या / Notice No.: ITBA/AST/S/143(2)/2017दिनांक/ Dated:

AAATM5488Q

18/1004774867(1)

03/07/2017

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अन्तर्गत नोटिस

Notice under section 143(2) of the Income Tax Act, 1961

संपूर्ण संवीक्षा (कम्प्यूटर आधारित संवीक्षा चयन) Complete Scrutiny (Computer Aided Scrutiny Selection)

महोदय/महोदया/ मेसर्स,

Sir/ Madam/ M/s,

यह आपको सूचित किया जाता है कि कर निर्धारण वर्ष 2016-17 की आयकर विवरणी जो कि पावती संख्या 456707481210916 दिनांक 21/09/2016 को दाखिल किया गया था, संपूर्ण संवीक्षा हेतु चयनित है।

This is for your kind information that the return of income for Assessment Year 2016-17 filed vide ack. no. 456707481210916 on 21/09/2016 has been selected for Complete Scrutiny.

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में, मैं आप को उपर्युक्त आयकर विवरणी के समर्थन में दिनांक 17/07/2017 को 01:15 PM या उसके पहले कोई साक्ष्य/सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता/करती हैं।

In view of the above, I would like to give you an opportunity to produce any evidence/information which you feel is necessary in support of the said return of income on or before 17/07/2017 at 01:15 PM.

3. उपरोक्त वर्णित साक्ष्य/ सूचना, आयकर विभाग की ई- फाईलिंग वेबसाइट में उपलब्ध ' ई- प्रोसिडिंग' सुविधा के माध्यम से अपने एकाउन्ट द्वारा प्रेषित करनी हैं। आगे की कार्यवाहियां भी इलेक्ट्रानिक (*) तरीके से संचालित की जाऐंगी। ई प्रोसेंडिंग की मुख्य विशेषताओं पर संक्षिप्त नोट संलग्न है।

The above mentioned evidence/information is to be furnished online electronically in 'E-Proceeding' facility through your account in e-Filing website of Income-tax Department. Further proceedings shall also be conducted electronically (*). A brief note on salient features of 'E-Proceeding' is enclosed.

4. यदि आप कोई सूचना/ साक्ष्य, जैसा कि अनुच्छेद 2 में वर्णित है, नहीं देना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि उपरोक्त दिनांक 17/07/2017 को या उसके पहले इलेक्ट्रानिक माध्यम से सूचित करें।

In case you do not wish to produce any evidence/information, as mentioned in para 2, you are requested to intimate the same electronically on or before 17/07/2017.

5. यदि आवश्यक हुआ तो बाद में निश्चित प्रश्नावली/सूचना का मांग पत्र या दस्तावेज भेजे जायेंगे।

Note: The date of digital signature (if any) may be taken as date of document

AAYKAR BHAWAN, OPPOSITE LB STADIUM, BASHEER BAGH, HYDERABAD, HYDERABAD, Telangana, 500004

Email: HYDERABAD.ITO.EXMP2@INCOMETAX.GOV.IN,

AAATM54880- M.C.MODI EDUCATIONAL TRUST

Specific questionnaires/requisition of information or documents would be sent subsequently, if required.

6. यदि आयकर विभाग की ई- फाईलिंग वेबसाइट में आप का एकाउन्ट है तो अनुच्छेद (2) से (4) लागू है। जबतक आप के द्वारा इस प्रकार का एकाउन्ट नहीं बनाया जाता है, कर निर्धारण की कार्यवाहियाँ या तो ई- मेल के द्वारा या लिखित रूप से प्रस्तुत करना होगा(यदि ई-मेल उपलब्ध नहीं है)।

Para(s) (2) to (4) are applicable if you have an account in e-Filing website of Income-tax Department. Till such an account is created by you, assessment proceedings shall be carried out either through your e-mail account or manually (if e-mail is not available).

- (*) संलग्न नोट के अपवाद पर आधारित
- (*) Subject to exceptions as per the enclosed note

मुहर/Seal

भवदीय.

Yours faithfully,

